

बिहार में अशोक शिलालेख व दो अन्य स्थल एसआई अधिसूचना के लिये विचाराधीन

चर्चा में क्यों?

19 सितंबर, 2022 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसआई) के अधिकारियों ने कहा कि बिहार के दो स्मारक- अशोक शिलालेख और दो प्राचीन टीले वर्तमान में केंद्र-संरक्षित स्मारकों की स्थिति के अनुसार विचाराधीन हैं, जिन पर जल्द फैसला लिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसआई) के पटना सर्कल ने पिछले 14 वर्षों की अवधि में इन सफ़ारिशों को अधिसूचना के लिये भेजा था।
- अशोक शिलालेख स्थल रोहतास ज़िले में है और इसकी एसआई अधिसूचना के लिये सफ़ारिश 2008 में भेजी गई थी, इसके बाद 2010 और 2021 में सफ़ारिशों के साथ-साथ बिहार में दो प्राचीन टीलों को केंद्र-संरक्षित स्मारकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
- भागलपुर ज़िले में विक्रमशिला स्थल के पास जंगलसितान क़्षेत्र में एक टीले के लिये सफ़ारिश 2010 में भेजी गई थी। बिहार के एक अलग हिससे में रानीवास टीले की सूची के लिये इसे 2021 में भेजा गया था।
- वर्तमान में बिहार में 70 साइट एसआई के पास हैं, जो इसके पटना सर्कल के तहत काम करती हैं। यह भारत के सबसे पुराने क़्षेत्रीय सर्कलों में से एक है।
- दिल्ली में एसआई मुख्यालय के सूत्रों ने कहा कि पटना सर्कल द्वारा भेजी गई ये सफ़ारिशें प्रक्रिया के तहत हैं। अंतिम निर्णय लेने से पहले क़्षेत्रीय सर्कलों द्वारा सावधानीपूर्वक दस्तावेज़ों के रूप में भेजे गए प्रस्तावों या सफ़ारिशों की एसआई मुख्यालय में एक टीम द्वारा जाँच की जाती है। सबसे पहले एक अंतिम अधिसूचना जारी होती है और फिर एक अंतिम राजपत्र अधिसूचना जारी की जाती है।
- गौरतलब है कि एसआई द्वारा संरक्षित भारत में कुल 3,693 वरिसत स्थल हैं। इनमें से कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जैसे- आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल क़िला, कुतुबमीनार और हुमायूँ का मकबरा तथा बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर।
- अधिकारियों ने कहा कि गिया में शिव मंदिर को 1996 में एसआई द्वारा अधिसूचित किया गया था, तब से बिहार में कोई भी नया स्थल एसआई के दायरे में नहीं लाया गया है।